राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
**State Level Bankers' Committee, Jharkhand**

संयोजक : **बैंक ऑफ़ इंडिया**
*रिश्तों की जमापूँजी*

**पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰/2026-27/07** **दिनांक : 07.04.2026**

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र**

महोदय / महोदया,

**विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 94वीं त्रैमासिक (दिसम्बर 2025) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त**

कृपया दिनांक 23.03.2026 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 94वी॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है, साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें दिनांक 24 अप्रैल 2026 तक प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

उप महाप्रबंधक
**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड**
संगलन:- उपरोक्त अनुसार

कार्यालय : ईश्वरी आर्केड, छठा तल, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, 5, मेन रोड, राँची - 834001 • Office : Ishwari Arcade, 6th floor, Opposite Hotel Radisson Blu, 5, Main Road, Ranchi - 834001
Mob. : 9264452730, Tele : 0651-2332834, Tele/fax : 0651-2332319 • Email : SLBC.Jharkhand@bankofindia.co.in

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड**
**विशेष एस.एल.बी.सी**
**संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया**
**दिनांक: 23-03-2026**
**स्थान– प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची**

# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 94वीं त्रैमासिक बैठक (विशेष एस.एल.बी.सी) की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 94वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 23 मार्च 2026 को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा की गई। बैठक में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि झारखंड सरकार की माननीय कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुईं। बैठक में निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति उल्लेखनीय रहे:

- श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- श्री सुधीर बारा, भा°प्र°से, निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार
- श्रीमति सीता पुष्पा, भा°प्र°से, अपर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची
- श्री नितिन गोविंदराव देशपांडे, मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय
- श्रीमति दीपमाला घोष, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री गुरु प्रसाद गोंड, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी., झारखंड
- श्रीमती बिमला भगत, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय
- श्री संतोष कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी., झारखंड
- श्रीमाति संध्या गुप्ता, निदेशक, वित्त विभाग, झारखंड सरकार

इसके अतिरिक्त, सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक, तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी इस बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक का विधिवत शुभारंभ मंचासीन विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 94वीं पुस्तिका एवं नाबार्ड की स्टेट फोकस पेपर का लोकार्पण सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया।

बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः रहे-

## क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री गुरु प्रसाद गोंड का सम्बोधन-

सर्वप्रथम, महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने माननीय वित्त मंत्री, झारखण्ड सरकार; सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों; अग्रणी जिला प्रबंधकों; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राज्य में बैंकिंग गतिविधियों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य द्वारा प्राप्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

- श्री गुरु प्रसाद गोंड ने सदन को अवगत कराया कि वार्षिक आधार पर राज्य में जमा राशि में 8.85% की सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ऋण वितरण में 13.17% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि ऋण क्षेत्र में यह सशक्त वृद्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य के बैंक प्राथमिकता क्षेत्र, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा रोजगार सृजन से संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय रूप से वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह सकारात्मक प्रवृत्ति न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति दे रही है, बल्कि राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि राज्य का ऋण जमा अनुपात निरंतर सुधार की दिशा में अग्रसर है तथा दिनांक 31.12.2025 को यह बढ़कर 53.63% के स्तर तक पहुंच गया है, जो राज्य में ऋण प्रवाह की सकारात्मक स्थिति एवं बैंकिंग गतिविधियों में आई मजबूती को दर्शाता है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने राज्य सरकार को उनके निरंतर सहयोग एवं सीएनटी अधिनियम से संबंधित विषयों पर विचार करने हेतु एक समिति के गठन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह समिति वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वित्तपोषण के व्यवहारिक विकल्पों पर विचार करेगी।

  उन्होंने आगे विश्वास व्यक्त किया कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय राज्य के लोगों तक वित्तीय सहायता की पहुंच को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- श्री गुरु प्रसाद गोंड ने सदन को राज्य सरकार द्वारा बैंकों में सरकारी निधि के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सरकारी निधि उन बैंकों में प्राथमिकता के आधार पर रखी जाएगी, जहां सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रदर्शन की स्थिति संतोषजनक एवं बेहतर है।

  उन्होंने यह भी अवगत कराया कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए निधि आवंटन संबंधी निर्णय करेगी।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- श्री गोंड ने अपने संबोधन में राज्य सरकार से भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

  उन्होंने आगे उल्लेख किया कि इस पहल से बैंकों को ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में अधिक विश्वास एवं सुविधा प्राप्त होगी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में ऋण प्रवाह बढ़ेगा तथा वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक विकास को और गति मिलेगी।

**(एक्शन- राज्य सरकार)**

- एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि बैंकों में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों पर रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन चार्ज निर्माण (Charge Creation) की सुविधा विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखण्ड राज्य में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की संभावना बनी रहती है।

  उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इस हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल व्यवस्था विकसित की जाती है, तो इससे न केवल ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, धोखाधड़ी की संभावनाओं में कमी आएगी तथा राज्य में Ease of Doing Business को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

**(एक्शन- राज्य सरकार)**

- श्री गोंड ने झारखण्ड सरकार के कृषि विभाग से आग्रह किया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के बिना ऋण प्रदान करने की सीमा को वर्तमान ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सीमा में वृद्धि से राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी तथा कृषि गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

  उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रस्तावित संशोधन किसानों की ऋण उपलब्धता को आसान बनाएगा, जिससे उनकी आय वृद्धि, कृषि निवेश और समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

  **(एक्शन- राज्य सरकार)**

- एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने राज्य सरकार की प्रमुख योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत राज्य के 09 बैंक नामांकित हैं तथा सभी बैंक योजना के क्रियान्वयन में सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं।

  उन्होंने योजना के सफल संचालन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ***बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा केनरा बैंक*** को विशेष रूप से बधाई दी और आशा व्यक्त की कि अन्य बैंक भी इसी उत्साह के साथ योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान देंगे।

  **(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- श्री गोंड ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन बढ़ाने हेतु सभी एलडीएम एवं बैंकों के राज्य प्रमुखों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप एसएलबीसी झारखण्ड को PFRDA द्वारा संचालित Citizen Choice Campaign के अंतर्गत H1P1, H1P2, H2P1 एवं H2P2 श्रेणियों में "Award of Excellence" से सम्मानित किया गया है।

  उन्होंने इस उपलब्धि को राज्य के सभी बैंकों एवं संबंधित अधिकारियों के समर्पण, समन्वय एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिणाम बताया।

  **(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- श्री गोंड ने सदन को संबोधित करते हुए राज्य के ऋण जमा अनुपात पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्य के सीडी अनुपात में निरंतर सुधार दर्ज किया जा रहा है, फिर भी इसे राष्ट्रीय औसत 79% के स्तर तक पहुंचाने के लिए अभी और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

  उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर राज्य के सीडी अनुपात में 4.90% की वृद्धि हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। साथ ही उन्होंने सभी बैंकों से राज्य में ऋण वितरण को और बढ़ाने, उत्पादक क्षेत्रों में वित्तपोषण पर विशेष ध्यान देने तथा आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

अपने अभिभाषण के अंत में महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने **RBI,** राज्य सरकार, **NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

## ख) माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार, श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की का सम्बोधन-

❖ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने संबोधन में राज्य के कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रस्तुतीकरण में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित आंकड़े अत्यंत सीमित प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति राज्य के कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन को दर्शाती है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित केसीसी लक्ष्य के विरुद्ध राज्य द्वारा अब तक मात्र 25% उपलब्धि ही प्राप्त की जा सकी है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष राज्य में अच्छी वर्षा हुई थी, जिसके आधार पर यह अपेक्षा की जा रही थी कि किसानों द्वारा केसीसी ऋण की मांग अधिक होगी, किन्तु मात्र 25% उपलब्धि गंभीर चिंता उत्पन्न करती है।

माननीय मंत्री महोदया ने सुझाव दिया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए केसीसी से संबंधित योजना निर्माण वर्ष के प्रारंभ से ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि एक समयबद्ध गतिविधि है और यदि निर्धारित समय पर किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसका अपेक्षित लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता।

उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करते समय निर्धारित Turn Around Time का पालन सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ माननीय कृषि मंत्री महोदया ने अपने संबोधन में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अधिकांश आवेदन प्रखंड स्तर पर उत्पन्न किए जा रहे हैं, किन्तु अनेक मामलों में ये आवेदन प्रखंड कार्यालयों में कई महीनों तक लंबित पड़े रहते हैं, जिससे किसानों को समय पर ऋण सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाली बीएलबीसी (BLBC) बैठकों का नियमित आयोजन अपेक्षित रूप से नहीं हो रहा है अथवा कई मामलों में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि एसएलबीसी द्वारा बीएलबीसी बैठकों की नियमितता एवं आवृत्ति की प्रभावी निगरानी की जाए।

उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित सभी आवेदनों का निष्पादन अधिकतम 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समयबद्ध रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके और कृषि गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

उन्होंने आगे कहा कि नाबार्ड द्वारा ई-केसीसी प्रणाली के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है तथा जब यह पोर्टल पूर्ण रूप से कार्यशील हो जाएगा, तब किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों की औसत Turn Around Time (TAT) घटकर लगभग 2–3 दिनों तक आने की अपेक्षा है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पोर्टल के पूर्ण रूप से लागू होने तक सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि केसीसी से संबंधित ऋणों का वितरण अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाए, ताकि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

**(एक्शन- एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)**

❖ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन को अवगत कराया कि खरीफ मौसम जून माह से प्रारंभ होता है, अतः यह आवश्यक है कि खरीफ सीजन से पूर्व अप्रैल से मई माह के दौरान केसीसी शिविरों का व्यापक रूप से आयोजन किया जाए, ताकि किसानों को समय रहते ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंकों द्वारा ऐसे शिविरों को मात्र औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें परिणामोन्मुखी ढंग से आयोजित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने राज्य में दिसंबर माह में आयोजित केसीसी शिविरों का उदाहरण देते हुए उल्लेख किया कि यद्यपि बैंकों द्वारा शिविर आयोजित किए गए, किन्तु उनसे संबंधित समुचित आंकड़े सदन के समक्ष उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कितने शिविर आयोजित किए गए, कितने केसीसी आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदनों का ऋण वितरण किया गया—इन सभी का समेकित डेटा उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि भविष्य में आयोजित सभी शिविरों से संबंधित विस्तृत आंकड़े प्रत्येक एसएलबीसी बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएं, ताकि प्रगति की प्रभावी समीक्षा की जा सके।

**(एक्शन- एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)**

❖ माननीय कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने सुझाव दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित आंकड़ों का विस्तृत वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि केसीसी डेटा को केवल पारंपरिक कृषि गतिविधियों तक सीमित न रखते हुए कृषि संबद्ध क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, सूअर पालन, पशुपालन, बकरी पालन तथा वन उत्पाद आधारित गतिविधियों के अनुसार पृथक रूप से संकलित एवं प्रस्तुत किया जाए।

उन्होंने एसएलबीसी को निर्देशित किया कि आगामी एसएलबीसी बैठक में गतिविधि-वार केसीसी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिससे यह आकलन किया जा सके कि किन क्षेत्रों में ऋण की मांग अधिक है तथा किन क्षेत्रों में नीति निर्माण एवं विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का विश्लेषण राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र एवं संतुलित विकास हेतु सहायक सिद्ध होगा।

**(एक्शन- एसएलबीसी)**

❖ माननीय कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों के बीच कृषि ऋण माफी योजना से संबंधित वित्तीय साक्षरता के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय साक्षरता से संबंधित विषय विभिन्न मंचों पर उठाया जा चुका है, फिर भी जमीनी स्तर पर अनेक किसान इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि कृषि ऋण माफी योजना का लाभ केवल मानक (Standard) केसीसी ऋणों पर लागू है, न कि एनपीए श्रेणी के केसीसी ऋणों पर।

उन्होंने बैंकों एवं सभी एलडीएम से आग्रह किया कि किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष वित्तीय साक्षरता शिविर, कार्यशालाएं तथा पंचायत भवनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि किसानों की भ्रांतियां दूर हों तथा योजना का सही लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम )**

❖ माननीय कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में निष्क्रिय बैंकिंग संवाददाताओं (BCs) के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत रिपोर्ट में बड़ी संख्या में बीसी के निष्क्रिय होने की स्थिति परिलक्षित हो रही है, किन्तु उन्हें पुनः सक्रिय अथवा पुनर्नियुक्त करने हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख प्रस्तुतीकरण में नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की प्रत्यक्ष पहुंच सीमित होने के कारण बैंकिंग संवाददाताओं की सक्रियता अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 24,000 बीसी निष्क्रिय स्थिति में हैं, जो वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से गंभीर विषय है।

माननीय मंत्री महोदया ने सुझाव दिया कि राज्य में निष्क्रिय बीसी को पुनः सक्रिय करने हेतु विशेष रणनीति अपनाई जाए तथा आगामी एसएलबीसी बैठक के एजेंडा में यह स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए कि निष्क्रिय बीसी को सक्रिय करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

**(एक्शन- एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)**

- माननीय कृषि मंत्री महोदया ने सुझाव दिया कि सभी बैंक शाखा प्रमुखों की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे स्थानीय भाषा से भली-भांति परिचित हों। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा का ज्ञान होने से ग्राहकों के साथ संवाद बेहतर होगा तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

  उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्थानीय परिस्थितियों एवं बाजार को ध्यान में रखते हुए शाखा प्रमुखों की नियुक्ति किए जाने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध होगी तथा उन मानकों में सुधार लाने में सहायक होगी, जिनमें राज्य वर्तमान में अपेक्षाकृत पीछे है।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

## ग) <u>व्यवसायिक सत्र</u>

व्यावसायिक सत्र का संचालन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रौशन चौधरी द्वारा किया गया। इस सत्र के दौरान सभा अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की सहभागिता में श्री चौधरी ने सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा की। श्री रौशन चौधरी ने अवगत कराया कि पिछली एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त न होने के कारण, 93वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

सत्र के दौरान चर्चा में आए कुछ प्रमुख बिंदु एवं महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित रहे::

- श्री चौधरी ने सदन को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 93वीं एसएलबीसी बैठक में माननीय वित्त मंत्री द्वारा योजना के अंतर्गत उच्च लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सदस्य बैंकों को 15 दिसंबर तक लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया था। इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लंबित मामलों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

  माननीय वित्त मंत्री द्वारा योजना के अंतर्गत बैंकों के प्रदर्शन पर प्रश्न उठाए जाने पर श्री चौधरी ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड ग्रामीण बैंक तथा केनरा बैंक का प्रदर्शन संतोषजनक एवं बेहतर रहा है, जबकि एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। उन्होंने अवगत कराया कि बैंक को प्राप्त 376 आवेदनों के विरुद्ध अब तक मात्र 05 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है।

  इस पर एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को सूचित किया कि बैंक द्वारा और 05 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा आगामी वित्तीय वर्ष में नए मामलों की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

  माननीय वित्त मंत्री ने बैंक द्वारा दिए गए उत्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए योजना के अंतर्गत प्रदर्शन में शीघ्र सुधार लाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एसएलबीसी को निर्देशित किया कि एचडीएफ़सी बैंक में लंबित मामलों के कारणों की विस्तृत समीक्षा कर अगली एसएलबीसी बैठक में इसका विवरण प्रस्तुत किया जाए।

**(एक्शन- एसएलबीसी एवं एचडीएफ़सी बैंक)**

- पिछली एसएलबीसी बैठक के संदर्भ में, जिसमें माननीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य में नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी मांगी गई थी, श्री चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बैंकों हेतु कुल 97 नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध अब तक बैंकों द्वारा 38 शाखाएं खोली जा चुकी हैं तथा शेष शाखाएं प्रक्रिया में हैं।

  उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा राज्य में 21 स्थानों की पहचान ब्रिक एंड मोर्टार शाखाएं खोलने हेतु की गई है, जिनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा शाखाएं स्थापित कर दी गई हैं।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य में कुल बैंक शाखाओं की संख्या एवं आवश्यक शाखाओं की जानकारी पूछे जाने पर श्री चौधरी ने बताया कि वर्तमान में राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर 10.51 बैंक शाखाएं उपलब्ध हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 14.12 है। इस प्रकार राज्य में 3.61 शाखाओं का अंतर विद्यमान है। जनसंख्या के आधार पर इस अंतर को समाप्त करने हेतु लगभग 1187 नई बैंक शाखाओं की आवश्यकता है।

माननीय वित्त मंत्री ने राज्य में नई शाखाएं खोलने की उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु नई शाखाओं के उद्घाटन पर विशेष ध्यान दें।

कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने एसएलबीसी को निर्देश दिया कि भविष्य में शाखा उद्घाटन से संबंधित अद्यतन आंकड़े नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही उन्होंने एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में इतनी संख्या में शाखाएं खोलने के लिए सभी बैंकों को बधाई दी।

**(एक्शन- एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)**

- वरिष्ठ प्रबंधक, एसएलबीसी ने इंडसइंड बैंक से संबंधित विषय को सदन के समक्ष रखा और अवगत कराया कि बैंक द्वारा पिछली एसएलबीसी बैठक के Action Taken Report अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि बैठक में बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए थे।

  इस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडसइंड बैंक से उक्त बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा की, किन्तु संबंधित बैंक का प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने के कारण कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका।

  क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसएलबीसी को निर्देश दिया कि बैठक में बैंक की अनुपस्थिति के संबंध में इंडसइंड बैंक के सक्षम प्राधिकारी को औपचारिक रूप से पत्र प्रेषित किया जाए।

**(एक्शन- एसएलबीसी एवं इंडसइंड बैंक)**

- श्री रोशन चौधरी ने सदन को राज्य में निष्क्रिय बैंकिंग संवाददाताओं (BCs) के मुद्दे से अवगत कराया, जो एसएलबीसी बैठकों में नियमित रूप से उठाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में कुल लगभग 30,000 निष्क्रिय बीसी में से लगभग 24,000 निष्क्रिय बीसी फिनो पेमेंट्स बैंक से संबंधित हैं।

  फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को बताया कि 86वीं एसएलबीसी बैठक के एजेंडा के संदर्भ में बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा केवल सक्रिय बीसी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी संख्या 14,083 है, जबकि लगभग 21,000 निष्क्रिय बीसी का डेटा मुख्यालय द्वारा साझा नहीं किया गया है।

  इस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि फिनो पेमेंट्स बैंक में निष्क्रिय बीसी की प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर की प्रवृत्ति के विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित मुख्यालय से आवश्यक आंकड़े प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं बैंक की है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थानीय बोर्ड बैठक में भी फिनो पेमेंट्स बैंक से संबंधित यह विषय उठाया जा चुका है।

  उन्होंने बैंक को निर्देशित किया कि निष्क्रिय बीसी के विषय की गंभीरता को समझते हुए इसकी समीक्षा करे, निष्क्रिय बीसी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे तथा एक माह के भीतर की गई कार्रवाई से एसएलबीसी को अवगत कराए। साथ ही उन्होंने बैंक को राज्य में आवश्यक बीसी की वास्तविक संख्या का आकलन कर उपयुक्त रणनीति अपनाने की सलाह दी।

**(एक्शन- फिनो पेमेंट्स बैंक)**

- वरिष्ठ प्रबंधक, एसएलबीसी ने सदन को अवगत कराया कि एसएलबीसी बैठक का समयबद्ध आयोजन सुनिश्चित करने हेतु बैंकों द्वारा एसएलबीसी डेटा का समय पर प्रस्तुत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कई बार अनुस्मारक (Follow-up) किए जाने के बावजूद कुछ बैंक निर्धारित समयसीमा के भीतर डेटा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में ***कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक*** का उल्लेख किया गया।

  कोटक महिंद्रा बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि बैंक द्वारा पोर्टल पर आवश्यक डेटा समय पर अपलोड किया जाता रहा है, किन्तु इस बार मैनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी तिमाही से ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न नहीं होगी।

  आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि संबंधित समस्या बैंक के डेटा सेंटर के समक्ष उठाई गई है तथा उन्होंने आश्वस्त किया कि अगली तिमाही से डेटा प्रस्तुतीकरण समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

  बंधन बैंक के प्रतिनिधि ने भी सदन को अवगत कराया कि बैंक द्वारा पोर्टल डेटा नियमित रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इस बार मैनुअल रिपोर्ट में विलंब हुआ। उन्होंने भविष्य में समय पर डेटा प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

  **(एक्शन- कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक)**

- श्री चौधरी ने सदन को ऋण जमा अनुपात की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि दिनांक 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार राज्य में 06 ऐसे जिले हैं जहां सीडी अनुपात 40% से कम है। उन्होंने बताया कि इन सभी जिलों में सुधार की प्रवृत्ति देखी जा रही है, किन्तु जामताड़ा जिला अपवाद स्वरूप है, जहां सीडी अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है।

  इस पर जामताड़ा जिले के एलडीएम से गिरावट के कारणों की जानकारी मांगी गई। एलडीएम, जामताड़ा ने सदन को बताया कि पिछली तिमाही में जिले में जमा राशि में ₹163 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि अग्रिम (Advances) में केवल ₹53 करोड़ की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिला मुख्यतः जमा-प्रधान (Deposit Oriented) जिला है। अग्रिमों में वृद्धि हेतु बीएलबीसी एवं डीसीसी बैठकों में सदस्य बैंकों के साथ यह विषय नियमित रूप से उठाया जा रहा है।

  उन्होंने आगे बताया कि सीएनटी/एसपीटी अधिनियम से संबंधित प्रतिबंधों के कारण भी ऋण वितरण प्रभावित हो रहा है। साथ ही कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में गिरावट के कारण जिले के सीडी अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने उल्लेख किया कि आईसीआईसीआई बैंक के सीडी अनुपात में 7.27% तथा एक्सिस बैंक के सीडी अनुपात में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई है।

  एलडीएम, जामताड़ा ने यह भी अवगत कराया कि जिला प्रशासन (डीसी) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यदि जमीनी स्तर के बैंक अधिकारी सीडी अनुपात में सुधार हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो संबंधित बैंक के राज्य प्रमुखों को जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

  माननीय वित्त मंत्री ने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने बैंकों के जिला स्तर के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करें। साथ ही उन्होंने एलडीएम, जामताड़ा को निर्देशित किया कि संबंधित बैंकों में रखी गई सरकारी जमा राशि से संबंधित आंकड़े एसएलबीसी को उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यकता अनुसार सरकारी जमा के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके।

  **(एक्शन- एलडीएम जामताड़ा एवं समस्त बैंक)**

- श्री रोशन चौधरी ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जहाँ राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
  1. CNT/SPT अधिनियम राज्य में ऋण प्रवाह की एक प्रमुख बाधा बने हुए हैं। भूमि को बंधक न रख पाने के कारण न केवल बड़े उद्योगों को ऋण देना कठिन है, बल्कि खुदरा आवास ऋण का विस्तार भी बैंकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। परिणामस्वरूप, जिस भूमि पर बड़े उद्योग स्थापित होने चाहिए थे, उसका उपयोग केवल छोटे कारोबार, जैसे नर्सरी आदि, तक ही सीमित रह गया है।
  2. LPC/भूमि कब्जा प्रमाण पत्र: वर्तमान में झारखंड में बैंकों द्वारा बिना LPC के केवल ₹1 लाख तक का केसीसी ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाए, ताकि किसानों को सहज रूप से ऋण उपलब्ध हो सके और कृषि विकास को प्रोत्साहन मिले। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय के अनुसार बिना गारंटी के ₹2 लाख तक का ऋण प्रदान करने की अनुमति है।
  3. रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार के साथ चार्ज की नोटिंग: बैंकों के पास बंधक रखी जाने वाली प्रत्येक संपत्ति पर बैंक के चार्ज/अधिकार की ऑनलाइन नोटिंग यदि रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से सुनिश्चित की जाए तो इससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी। भारत सरकार के Digital India Land Record Modernization Program (DILRMP) के निर्देशों का पालन करते हुए यदि एनआईसी एवं भू-निबंधन निदेशालय इस दिशा में ठोस पहल करें तो धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी।
  4. स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता: भारतीय रिज़र्व बैंक ने उप-समिति की बैठक में अवगत कराया कि वित्तीय साक्षरता से संबंधित 70 अध्यायों में से 37 अध्याय स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि शेष अध्यायों को भी यथाशीघ्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

**(एक्शन- राज्य सरकार)**

## घ) निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार श्री अंजनी कुमार ठाकुर का सम्बोधन-

- वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के निदेशक महोदय ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि 94वीं एसएलबीसी बैठक का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि एसएलबीसी एक शीर्ष मंच है, जहां पिछले तीन माह के दौरान बैंकों एवं जिलों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा की जाती है।

  उन्होंने उल्लेख किया कि एसएलबीसी की समीक्षा राज्य के सर्वोच्च स्तर पर की जाती है तथा राज्य के माननीय मंत्रीगण स्वयं बैठकों में उपस्थित होकर वित्तीय समावेशन योजनाओं, सरकार की प्रमुख योजनाओं, ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, एनपीए वसूली सहित विभिन्न मानकों पर बैंकों एवं जिलों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करते हैं।

  उन्होंने आगे कहा कि निरंतर समीक्षा के बावजूद राज्य अभी भी कई प्रमुख मानकों पर अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करते हुए प्रदर्शन में सुधार लाने की आवश्यकता है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- श्री अंजनी कुमार ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ऋण जमा अनुपात का औसत 79.20% है, जबकि झारखण्ड राज्य का सीडी अनुपात 53.63% है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में 25% से अधिक की कमी को दर्शाता है।

उन्होंने अवगत कराया कि राज्य के 06 जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने एसएलबीसी को निर्देश दिया कि माननीय वित्त मंत्री के निर्देशानुसार निजी क्षेत्र के बैंकों के राज्य प्रमुखों को पत्र प्रेषित किया जाए, जिसमें सीडी अनुपात, एनपीए की स्थिति तथा वित्तीय समावेशन मानकों के अंतर्गत उनके प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा जाए कि वे इन प्रमुख मानकों पर अपेक्षाकृत पीछे क्यों हैं।

उन्होंने कहा कि इस पहल से निजी क्षेत्र के बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा राज्य के समग्र बैंकिंग प्रदर्शन में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

**(एक्शन- एसएलबीसी)**

- श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि एसएलबीसी एजेंडा के विभिन्न बिंदुओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उनके द्वारा एसएलबीसी सदस्यों के साथ मध्यावधि समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग ने सदन को भारत सरकार की प्रमुख योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य ₹10 करोड़ था, जिसे दिसम्बर तिमाही में ही हासिल कर लिया गया है।

उन्होंने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए एसएलबीसी को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अधिक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने वैश्विक भू-राजनीतिक ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने तथा योजना के व्यापक क्रियान्वयन पर विशेष बल देने का आग्रह किया।

**(एक्शन- एसएलबीसी)**

- श्री अंजनी कुमार ठाकुर ने राज्य में नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन की प्रगति के संबंध में सदन को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नई बैंक शाखाएं खोलने का लक्ष्य 97 निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध बैंकों का प्रदर्शन लक्ष्य के निकट रहा है।

उन्होंने एसएलबीसी को सलाह दी कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए नई शाखाएं खोलने का अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी तथा राज्य में रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़ेंगे।

**(एक्शन- एसएलबीसी)**

- माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए बिंदु के संदर्भ में श्री अंजनी कुमार ठाकुर ने सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार डीसीसी, डीएलआरसी एवं बीएलबीसी बैठकों का नियमित एवं समयबद्ध आयोजन सुनिश्चित करने की सलाह दी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं कार्यवाही के परिणामों की जानकारी समय पर एसएलबीसी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि राज्य स्तर पर प्रभावी निगरानी एवं समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

**(एक्शन- समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)**

❖ निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग ने एसएलबीसी झारखण्ड द्वारा एसएलबीसी एवं विशेष एसएलबीसी बैठकों का समयबद्ध एवं प्रभावी आयोजन किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों के आयोजन से बैंकिंग प्रदर्शन की निगरानी सुदृढ़ हुई है।

उन्होंने री-केवाईसी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु एसएलबीसी झारखण्ड को बधाई दी तथा इस उपलब्धि को सभी सदस्य बैंकों एवं संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों का परिणाम बताया।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

## ङ) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमति दीपमाला घोष का सम्बोधन -

❖ श्रीमती दीपमाला घोष ने अपने प्रारंभिक संबोधन में माननीय मंत्रिगण एवं एसएलबीसी का आभार व्यक्त किया कि उन्हें इसी मंच से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्टेट फोकस पेपर का विमोचन करने का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में बैंकिंग से संबंधित दस्तावेज अथवा महत्वपूर्ण गतिविधि के शुभारंभ हेतु एसएलबीसी से बड़ा एवं उपयुक्त मंच नहीं हो सकता।

उन्होंने राज्य में बैंकिंग गतिविधियों के प्रभावी समन्वय एवं उत्कृष्ट आयोजन के लिए बैंक ऑफ इंडिया को बधाई दी तथा कहा कि सभी हितधारकों के समन्वित प्रयास से राज्य में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को नई दिशा मिल रही है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने अपने संबोधन में बताया कि नाबार्ड वर्ष 1990 से जिला स्तर पर पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान (PLP) तैयार करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक परामर्शात्मक प्रक्रिया है, जिसमें जिला विकास प्रबंधक (DDM) द्वारा सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रत्येक जिले की चुनौतियों एवं उपलब्ध संभावनाओं के आधार पर पीएलपी तैयार किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि स्टेट फोकस पेपर इन्हीं जिला स्तरीय पीएलपी का समेकित रूप होता है, जो राज्य स्तर पर एक समग्र दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाता है तथा सामान्यतः राज्य की वार्षिक ऋण योजना को स्टेट फोकस पेपर में दर्शाई गई संभावनाओं के अनुरूप ही निर्धारित किया जाता है।

श्रीमती घोष ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य की ऋण संभाव्यता का आकलन ***₹98,000 करोड़*** किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% अधिक है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि राज्य की बढ़ती अवशोषण क्षमता तथा आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का सकारात्मक संकेत है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य की क्षेत्रवार उपलब्धियां संतुलित नहीं रही हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र में राज्य का प्रदर्शन अत्यंत संतोषजनक रहा है तथा दिसंबर तिमाही तक राज्य लगभग निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुंच चुका है।

इसके विपरीत कृषि क्षेत्र में प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, जहां अब तक उपलब्धि लगभग 33% ही रही है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य होने के कारण नाबार्ड द्वारा ***वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कृषि क्षेत्र में ₹30,000 करोड़*** की ऋण संभाव्यता निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि कुल कृषि ऋण संभाव्यता में ***फसल ऋण का हिस्सा लगभग ₹14,000 करोड़*** रखा गया है, जो कुल कृषि ऋण का लगभग 46% है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ***टर्म लोन की संभाव्यता ₹13,734 करोड़*** निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में मुर्गी

पालन, डेयरी एवं अन्य संबद्ध कृषि गतिविधियों में तेजी से रुचि बढ़ रही है तथा इन क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, हालांकि राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि राज्य में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निवेश ऋण (Investment Credit) के अवसरों का विस्तार किया जाए तथा कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण (Capital Formation) को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय पहल की जाए।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- श्रीमति दीपमाला घोष ने सदन को अवगत कराया कि नाबार्ड द्वारा फसल ऋण हेतु एक ई-पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके लिए नाबार्ड ने सहकारी बैंकों एवं झारखंड ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया है। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल आवेदन सृजन से लेकर ऋण वितरण तक फसल ऋण की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एक समेकित समाधान प्रदान करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से आने वाले वर्षों में फसल ऋण स्वीकृति की समयावधि (TAT) को उल्लेखनीय रूप से कम किया जा सकेगा।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को अवगत कराया कि अन्य प्राथमिकता क्षेत्र, जिसमें आवास, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं निर्यात ऋण शामिल हैं, के लिए ***वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ₹10,000 करोड़*** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि ***एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत ₹57,000 करोड़*** का प्रक्षेपण रखा गया है, क्योंकि राज्य ने दिसंबर तिमाही तक अपने लक्ष्य का लगभग 99% प्राप्त कर लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी इसी सकारात्मक प्रदर्शन को जारी रखते हुए निर्धारित लक्ष्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति करेगा।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- श्रीमती दीपमाला घोष ने कहा कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिस पर बैंकों को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, वह कृषि अवसंरचना एवं सहायक गतिविधियाँ हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाएँ, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF), के अंतर्गत ब्याज अनुदान (Interest Subvention) एवं क्रेडिट गारंटी की सुविधा उपलब्ध है।

उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य में भंडारण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है तथा इस दिशा में बैंकों द्वारा वित्तपोषण बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कृषि मूल्य संवर्धन एवं किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- अंत में, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सभा को लाख मूल्य श्रृंखला (Lac Value Chain) अध्ययन के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि लाख राज्य का एक प्रमुख वनोपज उत्पाद है तथा विश्व में उत्पादित कुल लाख का लगभग 85% उत्पादन भारत में होता है, जिसमें से लगभग 55% उत्पादन झारखंड राज्य से प्राप्त होता है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि खूंटी जिला लाख उत्पादन में अग्रणी जिलों में से एक है।

उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि लाख आधारित गतिविधियों के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने आगे जानकारी दी कि लाख मूल्य श्रृंखला अध्ययन पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी सभी हितधारकों के साथ आवश्यक संदर्भ एवं उपयोग हेतु साझा की जाएगी।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

च) **भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन -**

❖ क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने संबोधन में कहा कि अब तक की चर्चा के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सामूहिक रूप से विचार किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहाँ अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है, वहीं कई क्षेत्रों में बैंकों के प्रदर्शन की सराहना भी की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात अब लगभग 54% के स्तर पर पहुँच गया है, जो एक सकारात्मक उपलब्धि है। वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित यथार्थवादी लक्ष्य इसे कम से कम 55% तक ले जाने का था, जिसके काफी निकट राज्य पहुँच चुका है। तथापि, इस दिशा में अभी और सतत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि ऋण-जमा अनुपात में सुधार हेतु एक सक्षम एवं अनुकूल परिवेश (Enabling Environment) का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य स्तर पर आवश्यक सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बैठक आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किए जाने योग्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार एवं बैंकिंग क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से आगामी अवधि में ऋण प्रवाह को और गति मिलेगी तथा राज्य का समग्र बैंकिंग प्रदर्शन सुदृढ़ होगा।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के छह ऐसे जिले हैं जहाँ ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सात बैंकों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई है, जिन्हें अपने कार्य निष्पादन में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि चूँकि बैठक में विभिन्न बैंकों के राज्य प्रमुख एवं क्षेत्रीय प्रमुख उपस्थित रहते हैं, अतः सभी संबंधित बैंक अपने-अपने क्षेत्रीय स्तर पर गंभीरता से विचार-विमर्श (Brainstorming) करें तथा एक ठोस कार्ययोजना तैयार करें।

उन्होंने आग्रह किया कि नए वित्तीय वर्ष में बैंक अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए ऋण प्रवाह बढ़ाने, प्राथमिकता क्षेत्र में वित्तपोषण को सुदृढ़ करने तथा राज्य के समग्र बैंकिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएँ।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि समन्वित प्रयासों से न केवल संबंधित बैंकों का प्रदर्शन सुधरेगा, बल्कि राज्य का समग्र CD Ratio भी आगामी अवधि में उल्लेखनीय रूप से बेहतर होगा।

**(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम जहाँ सीडी अनुपात 40% से कम है)**

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने राज्य में एनपीए की स्थिति पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बैंकों द्वारा एनपीए में कमी लाने हेतु सराहनीय प्रयास किए गए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि यह एक दुर्लभ अवसर रहा जब एनपीए में न केवल प्रतिशत के आधार पर 4% से अधिक की कमी दर्ज की गई, बल्कि पहली बार कुल राशि में भी लगभग ₹188 करोड़ की कमी आई है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि समग्र एनपीए स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा राज्य का कुल एनपीए 4.63% तक आ गया हो किन्तु सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत एनपीए का स्तर अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है, जो चिंता का विषय है।

उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे सरकार प्रायोजित योजनाओं में अधिक एनपीए होने के कारणों का मूल कारण विश्लेषण करें तथा जहाँ भी समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता हो, वहाँ सामूहिक प्रयास सुनिश्चित करें।

उन्होंने राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बैठक आयोजित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि यह सभी हितधारकों के लिए एक उपयुक्त मंच है, जहाँ आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से सुधारात्मक कदम तय कर राज्य की समग्र बैंकिंग स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकता है।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ श्री सिंह ने सभा को अवगत कराया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष भर वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पहल की जाती हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय जागरूकता की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक विश्व के केंद्रीय बैंकों में एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिसने वित्तीय साक्षरता को अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल करते हुए इसे प्रभावी ढंग से निभाया है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय जागरूकता का प्रमुख आयोजन वित्तीय जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसे इस वर्ष दिनांक 9 से 13 फरवरी तक आयोजित किया गया। इस अभियान में सभी बैंकों एवं संबंधित संस्थाओं का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने उल्लेख किया कि उक्त सप्ताह के दौरान 72,000 से अधिक री-केवाईसी (Re-KYC) सम्पन्न किए गए, क्योंकि इस वर्ष अभियान का मुख्य विषय केवाईसी संबंधी जागरूकता बढ़ाना था।

उन्होंने कहा कि सक्रिय बैंक खाता वित्तीय समावेशन का आधार है, क्योंकि एक बार खाता पूर्ण औपचारिकताओं के पश्चात सक्रिय हो जाने पर वह विभिन्न वित्तीय सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं तक पहुँच का माध्यम बन जाता है। इससे न केवल ग्राहकों को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होता है, बल्कि बैंकों को भी ग्राहकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के नए अवसर मिलते हैं, जिससे बैंकिंग प्रदर्शन में भी सुधार होता है।

उन्होंने यह भी बताया कि री-केवाईसी अभियान के दौरान निष्क्रिय बैंकिंग संवाददाता (BC) भी बड़ी संख्या में पुनः सक्रिय हुए। बैंकों द्वारा बैंक सखी एवं बैंक मित्रों के माध्यम से री-केवाईसी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन (Incentives) प्रदान किए गए, जिससे एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ।

उन्होंने आगे कहा कि विगत वर्ष राज्य के स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष प्रयास किए गए ताकि राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हो। सभी हितधारकों के सहयोग से री-केवाईसी अभियान में राज्य ने 53% से अधिक उपलब्धि हासिल करते हुए देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो राज्य के लिए एक प्रेरणादायक एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभा को अवगत कराया कि दिसंबर माह की मौद्रिक नीति घोषणा के दौरान माननीय गवर्नर महोदय द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक-केन्द्रितता (Customer Centricity) को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के विकासात्मक कार्यों के दो प्रमुख आयाम हैं — पहला वित्तीय साक्षरता, समावेशन एवं जागरूकता का विस्तार तथा दूसरा आम जनता के विश्वास को बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के प्रति और मजबूत बनाना।

उन्होंने बताया कि इसी दिशा में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में प्राप्त कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक लंबित न रहे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में बैंकों के सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) कार्यालय ने पूरे देश में सर्वप्रथम दिनांक 29 जनवरी को ही यह उपलब्धि हासिल कर ली, जबकि इसके लिए फरवरी माह तक का समय निर्धारित था। उन्होंने इस उपलब्धि हेतु सभी अधिकारियों एवं बैंकों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए आग्रह किया कि इस प्रदर्शन को निरंतर बनाए रखा जाए।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया कि री-केवाईसी अभियान को गति देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के सुझावों के आधार पर एक फोकस्ड ग्रुप बनाया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य ने री-केवाईसी अभियान में 53% उपलब्धि हासिल की है, किन्तु अभी भी लगभग 47% कार्य शेष है। इस संदर्भ में ऐसे सक्रिय खातों को प्राथमिकता दी गई है जिनमें 30 जून तक री-केवाईसी लंबित है अथवा चालू वर्ष में देय (due) है, साथ ही वे खाते भी शामिल हैं जो सक्रिय थे परंतु हाल में एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए निष्क्रिय रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन निर्धारित मानकों के आधार पर पूरे देश में प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है तथा शीघ्र ही माननीय गवर्नर महोदय की अध्यक्षता में अगली समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि समग्र उपलब्धि में राज्य प्रथम स्थान पर होने के बावजूद, लगभग 10.42 लाख चिन्हित खातों के री-केवाईसी कार्य में राज्य वर्तमान में आठवें-नौवें स्थान पर है, जो राज्य की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 30% कार्य पूरा किया जा चुका है तथा विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक के लगभग 3 लाख से अधिक लंबित खातों के शीघ्र निष्पादन से राज्य पुनः लगभग 60% उपलब्धि के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि आगामी गवर्नर स्तरीय समीक्षा बैठक, जो 15 अप्रैल तक प्रस्तावित है, से पूर्व लंबित री-केवाईसी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ श्री सिंह ने सभा को अवगत कराया कि राज्य स्थापना के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न विशेष पहलें निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि जैसा कि पूर्व में चर्चा हुई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को नई ऊँचाई प्रदान की है। इसी से प्रेरणा लेते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ***यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस*** (ULI) की पहल की गई है, जिसका उद्देश्य ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल, त्वरित एवं तकनीक आधारित बनाना है।

उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत विशेष रूप से दुग्ध उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनके उपलब्ध डेटा के आधार पर उन्हें उसी प्रकार कुछ ही मिनटों में ऋण उपलब्ध कराया जा सके, जैसे वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से भुगतान तुरंत संपन्न होते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के फिनटेक विभाग एवं आरबीआई इनोवेशन हब के समन्वय से संबंधित विभाग को एमओयू का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसे भेजे हुए कुछ माह व्यतीत हो चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी समीक्षा बैठक में झारखंड राज्य को गुजरात के पश्चात दूसरा राज्य बनने का गौरव प्राप्त होगा, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की इस पहल के माध्यम से हजारों दुग्ध उत्पादकों को त्वरित ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

**(एक्शन- राज्य सरकार)**

❖ श्री सिंह ने सभा को अवगत कराया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने 90वें स्थापना वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 90 विद्यालयों में वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को लगभग 25 मूलभूत वित्तीय विषयों एवं आवश्यक वित्तीय जानकारियों से अवगत कराया गया, ताकि नई पीढ़ी को विद्यालय स्तर से ही वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थी न केवल स्वयं बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होंगे, बल्कि अपने परिवार एवं समाज में भी वित्तीय जागरूकता का वातावरण निर्मित करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष आयोजन भी किए गए। कक्षा दसवीं तक के विद्यार्थियों से वित्तीय जागरूकता

विषय पर आलेख आमंत्रित किए गए हैं तथा चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों से सहकारिता एवं सशक्तिकरण विषय पर उनके विचार आमंत्रित किए गए हैं।

श्री सिंह ने बताया कि व्यापक जनजागरूकता अभियान के तहत नवाचारी पहल के रूप में जादू के माध्यम से वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसके अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 101 विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। उन्होंने कहा कि समतामूलक समाज एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग तक वित्तीय जागरूकता पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है, और इसी उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने सभा को अवगत कराया कि विगत वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों का विशेष फोकस महिलाओं पर रखा गया था, जिसमें घरेलू महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं तथा कार्यरत महिलाओं को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि वर्षभर छोटे किसानों, व्यापारियों, एमएसएमई क्षेत्र, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निरंतर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के संचालन में बैंकों का सक्रिय सहयोग लिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक प्रशासित निधि निर्धारित की गई है, जिसके माध्यम से इस प्रकार के जागरूकता आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाता है।

उन्होंने जानकारी दी कि दिसंबर 2024 तिमाही तक सीएफएल (Centre for Financial Literacy) परियोजना के अंतर्गत आरबीआई की प्रशासित निधि से कुल 10,531 शिविर आयोजित किए गए हैं। इस हेतु संबंधित बैंकों, विशेषकर बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक को 4 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य सभी हितधारकों को साथ लेकर राज्य में वित्तीय जागरूकता को सुदृढ़ करना तथा वित्तीय समावेशन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभा को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति के अगले संस्करण का शुभारंभ माननीय गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रणनीति के अंतर्गत निर्धारित पाँच प्रमुख स्तंभों (पंच ज्योति) के माध्यम से देश में वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनका उल्लेख पूर्व में बैठक के दौरान किया जा चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (2019-24) के अंतर्गत देश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI Index), जो वित्तीय समावेशन की स्थिति को दर्शाता है, वर्ष 2019 में लगभग 49.9% था, जो वर्तमान में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय सेवाओं की पहुंच एवं सुविधा में व्यापक सुधार हुआ है। डिजिटल लेनदेन सूचकांक मार्च 2019 में 153 था, जो वर्तमान में बढ़कर 445 तक पहुंच गया है, जो देश में डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के तीव्र विस्तार को दर्शाता है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ श्री सिंह ने सभा को अवगत कराया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा "आपकी पूंजी – आपका अधिकार" अभियान के अंतर्गत अनक्लेम्ड डिपॉजिट, लाभांश, ब्याज वारंट आदि के संबंध में विशेष पहल की गई है। उन्होंने बताया कि अनेक खातों में ऐसी धनराशि लंबे समय से अप्राप्त (Unclaimed) अवस्था में पड़ी रहती है, जिसकी जानकारी खाताधारकों अथवा उनके परिजनों को नहीं होती।

इस उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा UDGAM पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, भले ही उसे खाता संख्या ज्ञात न हो, विभिन्न माध्यमों से अपने अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से लंबित धनराशि की खोज कर सकता है।

उन्होंने सभी बैंकों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया तथा कहा कि नागरिकों को अपनी जमा पूंजी प्राप्त कर उसे पुनः आर्थिक गतिविधियों में निवेश करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत, राज्य तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था — तीनों के विकास को गति मिले।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव साझा करते हुए बताया कि हाल ही में आयोजित लोकल बोर्ड बैठक, जो केंद्रीय बोर्ड के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक की महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक मानी जाती है, के संदर्भ में उन्होंने लंबे समय से आग्रह किया था कि आगामी बैठक झारखंड राज्य में आयोजित की जाए। उन्होंने अवगत कराया कि इस संबंध में मौखिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा यह बैठक संभावित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त माह में आयोजित की जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उक्त बैठक से पूर्व राज्य के विभिन्न बैंकिंग एवं वित्तीय मानकों में और सुधार किया जाएगा, जिससे राज्य की सकारात्मक छवि प्रस्तुत हो सके।

उन्होंने अन्य राज्यों के अनुभव साझा करते हुए कहा कि झारखंड जैसे लैंड-लॉक्ड राज्यों में यह देखा गया है कि व्यापारी प्रायः उन राज्यों में अपना पंजीकरण कराते हैं जहाँ व्यवसाय हेतु अधिक सक्षमकारी वातावरण (Enabling Environment) उपलब्ध होता है, क्योंकि सीमा पार व्यापार संचालन में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती।

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में व्यापारियों के लिए अनुकूल एवं सक्षम कार्य वातावरण विकसित किया जाए ताकि व्यवसायी अपनी इकाइयों का पंजीकरण झारखंड में ही करें। इससे राज्य के आर्थिक आंकड़ों में सुधार होगा तथा समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी बैठक, जो वित्त सचिव के मार्गदर्शन में आयोजित होगी, उसमें इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।

**(एक्शन- राज्य सरकार)**

❖ श्री सिंह ने सुझाव देते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भले ही कुछ क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, किन्तु सामान्य परिस्थितियों में विश्व के अनेक देशों में एजिंग पॉपुलेशन (वृद्ध होती जनसंख्या) तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि भारत युवा जनसंख्या वाला देश है और वर्तमान राष्ट्रीय नीतियों के अंतर्गत हेल्थ वर्कर्स की वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मांग है। उन्होंने उल्लेख किया कि विदेशों में कार्य हेतु आने वाले अधिकांश आवेदन वर्तमान में केरल राज्य से प्राप्त हो रहे हैं, जबकि झारखंड में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ उपलब्ध हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य स्तर पर हेल्थ वर्कर्स को प्रशिक्षित करने, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने तथा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कौशल एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।

**(एक्शन- राज्य सरकार)**

- श्री सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय कृषि मंत्री महोदया के साथ चर्चा के दौरान यह भी विचार सामने आया कि राज्य में बांस (Bamboo) आधारित उद्योगों के विकास की दिशा में विशेष कार्य किया जा सकता है।

  उन्होंने उल्लेख किया कि देश के अन्य राज्यों में जहां बांस क्लस्टर उपलब्ध हैं, वहां बांस से निर्मित ब्रश एवं अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कर होटल उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे एक नए उद्योग एवं रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं।

  उन्होंने सुझाव दिया कि झारखंड में भी जहां बांस की पर्याप्त उपलब्धता एवं क्लस्टर मौजूद हैं, वहां बांस आधारित उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हुए होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र के साथ टाई-अप किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर उद्योग विकास, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त होगी।

**(एक्शन- अग्रणी जिला प्रबन्धक)**

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि आगामी लोकल बोर्ड बैठक तथा राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन (Studies) चिन्हित किए गए हैं, जिनके सफल क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों के सहयोग की अपेक्षा है।

  उन्होंने बताया कि प्रथम अध्ययन के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जीआई टैग (Geographical Indication) की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। पूर्व में केवल एक जिले में जीआई टैग उपलब्ध था तथा पांच जिलों में कार्य प्रगति पर था। इस संबंध में आरबीआई की टीम को निर्देशित किया गया है कि सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों के समन्वय से प्रत्येक जिले की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए।

  द्वितीय अध्ययन के अंतर्गत सीएफएल (CFL), एफएलसी (FLC) तथा आरसेटी (RSETI) संस्थानों को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों का विश्लेषण किया जाएगा, ताकि वित्तीय साक्षरता एवं कौशल विकास गतिविधियों का व्यापक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।

  तृतीय अध्ययन के रूप में राज्य एवं अन्य राज्यों की सफल पहलों (Success Stories) का संकलन तैयार किया जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में रागी उत्पादों से संबंधित सफल प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्राप्त सफलताओं को एक मंच पर संकलित किया जाएगा, जिससे राज्य की जनसंख्या, विशेषकर जनजातीय समुदाय, प्रेरित होकर आजीविका एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सके।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

## छ) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी का सम्बोधन -

- बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक एसएलबीसी बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय सूचकांक क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) अनुपात होता है, जिसे राज्य में बैंकिंग प्रणाली की प्रगति एवं उद्देश्यपूर्ति के प्रमुख मापदंड के रूप में सरकार एवं सभी सदस्य बैंक नियमित रूप से अनुश्रवित करते हैं।

  उन्होंने प्रारंभ में झारखंड सरकार, सदस्य बैंकों तथा सभी हितधारकों को राज्य में सीडी अनुपात में सकारात्मक प्रगति बनाए रखने हेतु बधाई दी। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य का सीडी अनुपात 31 दिसंबर 2023 को 46.27% था, जो निरंतर सुधार के परिणामस्वरूप लगभग 8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ 31 दिसंबर 2025 को 53.63% तक पहुंच गया है।

  उन्होंने बताया कि सीडी अनुपात में यह सतत वृद्धि राज्य में कोर अग्रिम (Core Advances) के निरंतर विस्तार का परिणाम है, जो संबंधित अवधि में लगभग ₹1,27,928 करोड़ से बढ़कर ₹1,69,585 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सकारात्मक प्रवृत्ति राज्य को राष्ट्रीय औसत सीडी

अनुपात (लगभग 79%) के निकट पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने पुनः विश्वास व्यक्त किया कि सभी बैंकों के संयुक्त प्रयासों से राज्य का सीडी अनुपात आगामी अवधि में और बेहतर स्तर पर पहुंचेगा।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक एमएसएमई के वार्षिक कार्ययोजना लक्ष्य के विरुद्ध 99.05 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। यह उपलब्धि लगभग शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के समान है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की उल्लेखनीय उपलब्धि सदस्य बैंकों के समन्वित, प्रतिबद्ध एवं केंद्रित प्रयासों का परिणाम है। सभी बैंकों की सक्रिय सहभागिता एवं योगदान के बिना इतनी उच्च उपलब्धि संभव नहीं हो सकती थी।

श्री द्विवेदी ने एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु समस्त सदस्य बैंकों एवं बैंकिंग समुदाय को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी प्रकार लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास जारी रखने का आह्वान किया।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी ने अपने संबोधन में कृषि ऋण की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माननीय कृषि मंत्री महोदया द्वारा बैठक के प्रारंभ में केसीसी एवं नॉन-केसीसी कृषि ऋण की स्थिति का अत्यंत स्पष्ट एवं तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने कहा कि सांख्यिकीय दृष्टि से केसीसी ऋण में वृद्धि सीमित अथवा स्थिर प्रतीत हो सकती है, किंतु निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार, श्री अंजनी कुमार ठाकुर द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आंकड़ों में वन टाइम सेटलमेंट (OTS) एवं राइट-ऑफ जैसे कारकों का भी प्रभाव शामिल है। इसके बावजूद केसीसी खातों की वास्तविक संख्या एवं प्रतिशत दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है, जो सकारात्मक संकेत है।

श्री द्विवेदी ने आगे कहा कि वर्तमान में कृषि वित्तपोषण का दायरा पारंपरिक केसीसी गतिविधियों से आगे बढ़कर नॉन-केसीसी क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहा है। भारत सरकार, विशेषकर वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा मत्स्य पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री, डेयरी तथा अन्य संबद्ध कृषि गतिविधियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मत्स्य पालन एवं संबद्ध कृषि गतिविधियों में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं तथा यह क्षेत्र ग्रामीण आर्थिक विकास के नए "ग्रीन रिवोल्यूशन" के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के अंतर्गत ग्रामीण गोदामों की स्थापना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (PMFME) तथा अन्य अवसंरचनात्मक पहलों पर बैंकों से विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य इन उभरते कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा बैंकों को इन क्षेत्रों में वित्तपोषण बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करनी चाहिए।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी ने अपने संबोधन में परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) एवं एनपीए की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)

बैंकिंग प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है तथा यह समस्त बैंकिंग समुदाय की प्राथमिक चिंता का विषय रहता है।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर राज्य में एनपीए स्तर में लगभग 13.70 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस कमी में राइट-ऑफ एवं ऋण माफी जैसे कारकों का प्रभाव भी सम्मिलित हो सकता है, तथापि कुल मिलाकर एनपीए में यह सतत सुधार बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ होती परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाता है।

श्री द्विवेदी ने कहा कि परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार बैंकिंग क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता के माध्यम से बैंक अधिक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति में आते हैं, जिससे वे समाज एवं विशेष रूप से झारखंड राज्य के विकास हेतु ऋण प्रवाह को और अधिक बढ़ाने में सक्षम हो पाते हैं।

उन्होंने बल देते हुए कहा कि बैंकिंग प्रणाली की स्थायी प्रगति तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए एनपीए नियंत्रण एवं परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार अत्यंत आवश्यक है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी ने अपने संबोधन में साइबर सुरक्षा के विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई चुनौती बताते हुए कहा कि यह विषय वर्तमान समय में समस्त बैंकिंग प्रणाली, सरकार एवं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा भी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए राज्यों में झारखंड साइबर धोखाधड़ी की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र (Hotspot) के रूप में उभरकर सामने आया है। साइबर फ्रॉड, फर्जी खाते, केवाईसी धोखाधड़ी एवं डिजिटल लेन-देन से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ आम नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक बैंक अपने स्तर पर उन्नत तकनीकों एवं साइबर सुरक्षा प्रणालियों को अपनाते हुए निरंतर प्रयासरत हैं। तथापि झारखंड राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय एवं सहकारी बैंकों — धनबाद केंद्रीय सहकारी बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक तथा झारखंड राज्य सहकारी बैंक — की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि जन-जागरूकता, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान संभव है। उन्होने समस्त बैंक को जन-जागरूकता अभियान के तहत साइबर सुरक्षा को नियंत्रण करने का आग्रह किया।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बैंक शाखाओं के विस्तार के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा चिन्हित unbanked rural centre में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि वित्तीय सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में तीन नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए उन्होंने ***बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा कोटक महिंद्रा बैंक*** को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिया।

उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार की पहल अन्य 18 बैंकों द्वारा भी प्रक्रियाधीन है, जिन्हें अधिकतम 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि किसी कारणवश

समयावधि में विलंब होता है, तो इन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा भी जमीनी स्तर तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे प्रयास वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करेंगे तथा राज्य के अधिक से अधिक नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

**(एक्शन- समस्त बैंक जहाँ शाखा खोलना लंबित है)**

## ज) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर का सम्बोधन-

❖ माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की यह स्पष्ट मान्यता रही है कि राज्य के समग्र विकास की जिम्मेदारी केवल केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ-साथ राज्य के बैंकर्स विकास प्रक्रिया के तीसरे सशक्त स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। बैंकों के माध्यम से राज्य के प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन-प्रायोरिटी सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र तथा एमएसएमई क्षेत्र के विकास को गति मिलती है।

माननीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि राज्य के बैंक उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी भारत सरकार एवं राज्य सरकार, क्योंकि वित्तीय संसाधनों के प्रवाह एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकिंग प्रणाली की निर्णायक भूमिका है।

**(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

❖ माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि वे विगत बैठक की उपलब्धियों अथवा पिछले तीन महीनों के दौरान बैंकों द्वारा प्राप्त प्रगति का विस्तृत उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। तथापि उन्होंने यह अवश्य रेखांकित किया कि राज्य का क्रेडिट–डिपॉजिट (सीडी) अनुपात लंबे समय तक राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम रहा है और वर्तमान में भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

उन्होंने कहा कि एसएलबीसी बैठकों तथा बैंकर्स की प्रतिबद्धता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और राज्य का सीडी रेशियो धीमी किन्तु निरंतर गति से राष्ट्रीय औसत की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय स्तर पर सीडी रेशियो लगभग 78 प्रतिशत के आसपास है तथा झारखंड भी क्रमशः उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

माननीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के संदर्भ में यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है कि राज्य का सीडी रेशियो लगभग 46 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में लगभग 54 प्रतिशत तक पहुंच सका है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तथा दिल्ली प्रशासनिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, उसी प्रकार झारखंड देश की खनिज संपदा की राजधानी है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज संपदा से समृद्ध राज्य होने के बावजूद यदि सीडी रेशियो अभी भी लगभग 54 प्रतिशत के स्तर पर है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि विकास की दिशा में अभी व्यापक संभावनाएं एवं कार्य शेष हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार एवं बैंकर्स के समन्वित प्रयासों से राज्य वित्तीय प्रगति के अगले चरण में अवश्य आगे बढ़ेगा।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ श्री किशोर ने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य बजट निर्माण के दौरान बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केवल सीडी रेशियो, जमा एवं ऋण वृद्धि जैसे आंकड़ों तक सीमित रहने के बजाय यह आवश्यक है कि सभी बैंक मिलकर यह विचार करें कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को

कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि आगामी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय गरीब एवं वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस योजनाएँ शामिल की जाएँ।

उन्होंने नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य में लगभग 42.16 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है तथा कुपोषण की दर लगभग 47.99 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों में गरीबी की स्थिति और अधिक गंभीर है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन, ऋण विस्तार एवं आजीविका सृजन के माध्यम से इन सामाजिक चुनौतियों के समाधान में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्री किशोर ने कहा कि सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं और केवल सरकारी रोजगार के माध्यम से व्यापक रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एसएलबीसी मंच के माध्यम से ऐसे सेक्टरों की पहचान की जाएगी, जहाँ बैंकिंग सहयोग से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को गति मिल सके।

उन्होंने राज्य में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कुछ विकसित जिलों की तुलना में कई पिछड़े जिलों में प्रति व्यक्ति आय एवं क्रय शक्ति काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि समावेशी विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय सहायता, रोजगार अवसर एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि राज्य का संतुलित एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

**(एक्शन- नाबार्ड , एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)**

- माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में विद्यालयों में ड्रॉप-आउट की समस्या का एक प्रमुख कारण रोजगार एवं आजीविका से जुड़ी आर्थिक मजबूरी है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि गरीब परिवारों के बच्चे पशुपालन जैसे कार्यों से प्रतिदिन आय अर्जित कर परिवार के भरण-पोषण में योगदान देते हैं, जिसके कारण अभिभावक उन्हें विद्यालय भेजने में असमर्थ रहते हैं। अतः वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शिक्षा एवं सामाजिक विकास को गति मिल सके।

  उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विशेषकर पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मांस एवं मत्स्य पालन रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। राज्य में दुग्ध, मांस एवं मत्स्य उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में कम होने तथा इन उत्पादों के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भरता को चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध निवेश एवं ऋण प्रवाह बढ़ाया जाए तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

  माननीय मंत्री ने इस दिशा में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि बैंकों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने राज्य सरकार, बैंकर्स एवं केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया तथा कहा कि विकास कार्यों में बैंक तीसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं।

  उन्होंने सुझाव दिया कि वित्त विभाग के नेतृत्व में कृषि, उद्योग एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के सचिवों एवं बैंकर्स के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँ, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय से जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और राज्य के समग्र आर्थिक विकास के ठोस परिणाम सामने आएंगे।

  **(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ श्री राधा कृष्ण किशोर ने सुझाव दिया कि पारंपरिक बैंकिंग कार्यक्रमों जैसे शिक्षा ऋण, गृह ऋण एवं मोटर वाहन ऋण से आगे बढ़ते हुए बैंकों को अपने वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan) में आजीविका उन्मुख क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएँ शामिल की जानी चाहिए, जिनसे स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार एवं आय के अवसर प्राप्त हो सकें।

उन्होंने बैंकर्स से आग्रह किया कि इन क्षेत्रों के विकास हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि बैंकिंग प्रणाली इन नए क्षेत्रों पर केंद्रित प्रयास करेगी, तो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि वार्षिक बजट निर्माण के दौरान बैंकर्स के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था, जिसे समयाभाव के कारण औपचारिक रूप नहीं दिया जा सका। उन्होंने सुझाव दिया था कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभान्वित लगभग 52 लाख महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जाए।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला के बैंक खाते में प्रतिमाह निर्धारित राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिससे कुछ वर्षों में उनके खातों में एक निश्चित वित्तीय आधार (financial cushion) तैयार हो जाता है। इस आधार को ध्यान में रखते हुए यदि प्रति लाभार्थी लगभग ₹20,000 तक का ऋण प्रदान किया जाए, तो यह राशि बैंक के लिए भी सुरक्षित रहेगी तथा किसी प्रकार की वित्तीय हानि की संभावना नहीं होगी, क्योंकि खातों में नियमित रूप से जमा होने वाली राशि एक प्रकार की पूंजी सुरक्षा के रूप में कार्य करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि यह प्रस्ताव अभी औपचारिक योजना का स्वरूप नहीं ले सका है, फिर भी जिला स्तर के बैंकर्स चाहें तो गैर-औपचारिक रूप से इस दिशा में पहल कर सकते हैं। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्यम एवं आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

❖ माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में सुझाव दिया कि जिस प्रकार देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों एवं कॉलेजों में कॉरपोरेट कंपनियाँ सीधे पहुँचकर विद्यार्थियों का चयन करती हैं, उसी प्रकार बैंकों को भी शिक्षण संस्थानों, विशेषकर प्रमुख कॉलेजों एवं महिला महाविद्यालयों में सक्रिय पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकर्स ऐसे संस्थानों में विशेष कैंप आयोजित कर विद्यार्थियों को आमंत्रित करें तथा उन्हें स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए उपलब्ध बैंक ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान करें।

उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता महिलाओं के उत्थान की है। इस संदर्भ में प्रत्येक जिले के महिला कॉलेजों में बैंकर्स को पहुंचकर छात्राओं को उद्यमिता के अवसरों, वित्तीय सहायता योजनाओं तथा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंक की भूमिका से अवगत कराना चाहिए। इससे शिक्षा पूर्ण करते ही युवतियों में रोजगार के बजाय स्वरोजगार की प्रवृत्ति विकसित होगी तथा सरकारी नौकरियों पर निर्भरता भी कम होगी।

माननीय मंत्री ने कहा कि यदि कॉलेज स्तर पर ही संभावित उद्यमियों की पहचान कर उन्हें मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाए, तो नई पीढ़ी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की पहल से युवाओं, विशेषकर महिलाओं में व्यवसाय करने की मानसिकता विकसित होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पारंपरिक व्यावसायिक उधारकर्ताओं की तुलना में नए उद्यमी, विशेषकर महिलाएं एवं छात्राएं, बैंक ऋण का अधिक जिम्मेदारी से उपयोग करती हैं तथा ऋण पुनर्भुगतान के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहती हैं। अतः बैंकिंग प्रणाली को नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सक्रिय प्रयास करने चाहिए।

**(एक्शन- समस्त बैंक)**

- अंत में माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी बैंक मिलकर राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी वार्षिक कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अक्सर मंच से कही गई बातों पर औपचारिक सहमति तो मिल जाती है, परंतु यदि कोई सुझाव व्यावहारिक या स्वीकार्य नहीं हो तो बैंकर्स उसे स्पष्ट रूप से अवगत कराएं। उन्होंने आग्रह किया कि व्यवहारिक एवं क्रियान्वयन योग्य सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

  माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार बैंकिंग तंत्र के साथ पूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वीकार किया कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रशासनिक एवं परिचालन संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने हेतु राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका निभाएगी। इस संबंध में उन्होंने वित्त सचिव के साथ अलग से बैठक आयोजित करने की भी बात कही, ताकि बैंकर्स की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की जा सके।

  उन्होंने आगे कहा कि बैंकिंग सेवाओं के विस्तार एवं राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए जिन भी सुविधाओं, समन्वय या नीतिगत सहयोग की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार उसे उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने सभी बैंकर्स से राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा सामूहिक प्रयासों से झारखंड की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का आह्वान करते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।

  **(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री संतोष कुयमर सिन्हा ने एस.एल.बी.सी की 94वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

**( गुरु प्रसाद गोंड )**
**महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.**